



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072020-220650
CG-DL-E-23072020-220650

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2130]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2020/श्रावण 1, 1942

No. 2130]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2020/SHRAVANA 1, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2020

का.आ. 2415(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा पीएम-किसान योजना के अंतर्गत पात्र लाभग्राहियों की पहचान करने के लिए आयकर निर्धारितियों के संबंध में सूचना साझा करने के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ संयुक्त सचिव (किसान कल्याण), कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 51/2020/फा. सं. 225/49/2019-आईटीए-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव (आईटीए. II), सीबीडीटी

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2020

S.O. 2415(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby specifies **Joint Secretary (Farmers welfare), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India**, for the purposes of the said clause in connection with sharing of information regarding income-tax assesseees for identifying the eligible beneficiaries under PM-KISAN Yojana.

[Notification No. 51/2020/F. No. 225/49/2019-ITA.II]

RAJARAJESWARI R., Under Secy. (ITA-II), CBDT